

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5214 /

जबलपुर, दिनांक 26/09/2017

कृ. सारिका भीमराव झोड़ापे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की नियुक्ति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/2708 जबलपुर, दिनांक 07.08.2014 द्वारा परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 08.08.2014 से हुई है। आपकी परिवीक्षा अवधि कार्य एवं आचरण संतोषप्रद न पाए जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/1867 जबलपुर, दिनांक 11.05.2016 द्वारा 6 माह के लिये बढ़ाई गई तथा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/2186 जबलपुर, दिनांक 10.04.2017 द्वारा आपकी परिवीक्षा अवधि में आगामी 3 माह के लिये इस शर्त के साथ वृद्धि की गई की यदि उक्त अवधि में आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जावेगी। इस 3 माह की अवधि के दौरान उन्हें न्यायालयों में पदस्थ शीघ्रलेखकों के साथ पदस्थ किया गया ताकि वह समन्वय में वरिष्ठ व्यक्तियों के देखरेख में कार्य संपादित करें किंतु उक्त अवधि में आपके कार्य में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

अतः आपकी सेवाएँ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(IV) के अंतर्गत उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध न होने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक ...26.../09/2017

पृष्ठांकन क्र B/5215 /

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन / -कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. कृ. सारिका भीमराव झोड़ापे, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू. एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.